



छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2021 (श्रावण 4, 1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

- (1) श्री गुलाब सिंह, पूर्व सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा।
- (2) श्री सोमप्रकाश गिरि, पूर्व सदस्य, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा।
- (3) श्री बालाराम वर्मा, पूर्व सदस्य, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा।
- (4) श्रीमती करुणा शुक्ला, पूर्व सांसद, लोकसभा।
- (5) श्री बद्रीधर दीवान, पूर्व उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा।
- (6) डॉ शक्राजीत नायक, पूर्व राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
- (7) श्री रामाधार कश्यप, पूर्व सांसद, राज्यसभा।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2019-20 पटल पर रखेंगे।
- (2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखेंगे।
- (3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20 पटल पर रखेंगे।

4. फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

5. फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

6. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, पुलिस चौकी खुड़िया, जिला-मुंगेली को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, प्रदेश में विभिन्न सीमेंट संयंत्रों द्वारा निजी भूमि क्रय से प्रभावित किसानों के परिवारों को नौकरी नहीं दिये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

10. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय
1 घंटा 30 मिनट

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) (ग्रामीण व शहरी) का कार्य धीमी गति से चलने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

रायपुर,
दिनांक 25 जुलाई, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.